

आदेश

3.4.21

आवेदक उदय नारायण चौधरी पिता स्व० बलराम चौधरी साकिन सारोसेर पो० खुदरू थाना दिनारा जिला रोहतास द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण हेतु दाखिल आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण वाद सुनवाई हेतु पंजीकृत हुआ। जिसमें विवादित भूमि का विवरण इस प्रकार है:-

मौजा/थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा
नरवर/138	161	2766	38 डी०

वाद के विचारण के दरम्यान प्रतिपक्षी को सूचना निर्गत की गई तथा उभय पक्षों द्वारा विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया। आवेदक का कहना है कि मौजा नरवर थाना नं० 138 खाता सं० 161 खेसरा सं० 2766 रकबा 38 डी० भूमि आवेदक की खरीदगी भूमि है। आवेदक का कहना है कि आवेदक एवं उसके भाईयों एवं पिता के बीच बँटवारा 46-47 वर्ष पूर्व ही हो गया था एवं खान-पान रहन सहन जगह जमीन सब अलग-अलग हो गया था लेकिन अलग - अलग रहने के बावजूद भी आवेदक का भाईयों के साथ संबंध काफी अच्छा था। आवेदक 1966 से ही दर्जी का काम करता था जिससे उसे बचत भी प्राप्त होती थी। 1976 में आवेदक के गौव के ही कृष्ण बिहारी पंडीत वो बाँके बिहारी पंडीत पिता राधा पंडीत मौजा नरवर खाता सं० 161 खेसरा सं० 2766 रकबा 01 ए० 16 डी० भूमि आवेदक तथा उनके भाईयों को बिक्री करने की बात की। जिसमें तय किया गया कि आवेदक वो जीत नारायण चौधरी वो तिलेश्वर चौधरी रजीस्ट्री का सारा खर्च अदा करके भूमि का रजीस्ट्री करा लें व दखल कब्जा बिक्रीदार से ले लें। जब जीत नारायण चौधरी वो तिलेश्वर चौधरी अपना-अपना हिस्सा का पैसा आवेदक को अदा कर देंगे तो आवेदक उनको खरीदगी जमीन में से उनके हिस्से के मुताबिक जमीन पर हकीयत वो दखल कब्जा दे देगा एवं आपस के इसी बातचीत एवं शर्त के मुताबिक आवेदक ने बृज बिहारी पंडीत वो बाँके बिहारी पंडीत से कुल 01 एकड़ 16 डी० जमीन का सारा खर्च अदा कर निबधित केवाला सं० 1975 दिनांक 04.05.1976 से खरीद कर लिया व दखल कब्जा प्राप्त कर लिया। विपक्षी जीत नारायण चौधरी वो तिलेश्वर चौधरी ने खरीदगी जमीन में एक भी रूपया आवेदक को नहीं दिया न कभी भी खरीदगी जमीन पर उनका हकियत या दखल कब्जा हुआ कि तकादा करने पर भी दोनों तैयार नहीं हुए बाद में तिलेश्वर चौधरी ने निबधित केवाला बैनामा सं० 7645 दिनांक 24.09.1987 38 2/3 डी० जमीन के निस्वत आवेदक के पक्ष में लिखकर आवेदक के पक्ष में बजदावा दे दिया वो जीत नारायण चौधरी ने लोक अदालत सासाराम के वाद सं० 219D/2004 में सुलहनामा से बजदावा दे दिया वो उसी अनुसार लोक आदालत में एवार्ड दिनांक 25.05.2004 को पारित हुआ। आवेदक का कहना है कि मौजा नरवर के खाता सं० 161 खेसरा सं० 2766 रकबा 01 एकड़ 16 डी० जमीन पर आवेदक का खास हकियत वो दखल कब्जा खरीदगी के समय से ही चला आ रहा है। लेकिन बाद में जीत नारायण चौधरी की नियत खराब हो गई वो उन्होंने व उन्होने एक नम्बरी मुकदमा 552 /2005 के माध्यम से कुल 01 एकड़ 16 डी० में अपना आधा हिस्सा क्लेम करते हुए वाद दायर कर दिया वो मुकदमा के दौरान 01 एकड़ 16 डी० में से 38 1/3 डी० भूमि पर अपना दाखिल खारिज अंचल अधिकारी कोचस के यहाँ से बिना आवेदक को जानकारी के करा लिया। जब इसकी जानकारी आवेदक को हुई तो उसने अंचल अधिकारी कोचस के दाखिल खारिज

3/1/21

वाद सं० 2750/2011-12 के आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल किया जिसका वाद सं० 36/2012-13 पड़ा। जिस नम्बरी मुकदमा लंबित रहने की बात कहकर अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 20.06.2014 को अस्वीकृत कर दिया। परन्तु अंचल अधिकारी के आदेश के दरम्यान भी नम्बरी मुकदमा लम्बित था फिर भी विपक्षी के नाम से दाखिल खारिज कर रसीद निर्गत कर दिया गया। विपक्षी का वादगत भूमि पर दखल कब्जा भी नहीं रहा है। इसके उपरान्त विपक्षी ने नम्बरी मुकदमा सं० 55/2005 भी वापस ले लिया वो नम्बरी वाद दिनांक 11.09.2019 को खारिज हो गया है। अतएव आवेदक द्वारा विपक्षी के नाम से रकबा 38 1/3 डी० का कायम जमाबंदी रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि आवेदक का आवेदन मेन्टेबुल नहीं है। आवेदक को वर्तमान वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। आवेदक द्वारा यह स्वीकृत किया गया है कि प्रश्नगत जमीन विपक्षी के नाम की निबंधित वसीका से खरीदगी जमीन है जिसका दा० खा० होकर लगान रसीद विपक्षी के नाम से कटते चला आ रहा है। विपक्षी के नाम से निबंधित केवला बैनाम आज तक यथावत है तथा उसे सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। आवेदक विपक्षी के नाम में किये गये दा०खा० के विरुद्ध दा०खा० अपील भी दायर किये थे जो खारीज हो गया था जिसके विरुद्ध आवेदक के द्वारा कोई दा०खा० रिविजन वाद कहीं भी दाखिल खारिज नहीं किया गया और दा० खा० अपील वाद में पारित आदेश सम्पुष्ट हो गया।

दा०खा० अपील वाद सं० 36/12-13 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2014 के करीब 5 1/2 वर्षों बाद आवेदक ने वर्तमान वाद दायर किया है जो किसी भी दृष्टि से पोषणीय नहीं है जबतक विपक्षी के नाम का केवला बैनामा यथावत रहेगा तबतक विपक्षी के नाम का जमाबंदी रद्द नहीं होगा। आवेदक ने लोक अदालत सासाराम में गलत तरीके से वाद सं० 219D/2004 कायम कर विपक्षी के नाम वो हिस्से की प्रश्नगत जमीन को जाल कर अपने नाम में करा लिया था जिसके विरुद्ध विपक्षी द्वारा सक्षम सिविल कोर्ट में नम्बरी मो० नं० 552/2005 कायम कराया गया था लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में विपक्षी द्वारा नम्बरी मुकदमा सं० 552/2005 वापस लिया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय में सिविल विविध वाद सं० 17/2020 कायम कराया गया है जो लोक अदालत के जाली सुलहनामा एवं अवार्ड के खिलाफ दायर है तथा जो आज भी माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। नम्बरी मुकदमा वाद सं० 552/2005 खारीज नहीं हुआ बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने वास्ते निस्तारित हुआ है।

आवेदक विपक्षी एवं आवेदक के भाई तिलेश्वर चौधरी ने संयुक्त रूप से निबंधित वसीका बैनामा सं० 1976 दिनांक 04.05.1976 से प्रश्नगत मौजा के खाता सं० 161 खेसरा सं० 2766 रकबा 1 ए० 16 डी० जमीन खरीदा है जिससे विपक्षी का 1/3 हिस्सा 38 2/3 डी० है। आगे चलकर आवेदक एवं विपक्षी के भाई तिलेश्वर चौधरी ने अपने हिस्से की उक्त 38 2/3 डी० को आवेदक के नाम में निबंधित वसीका बैनामा सं० 7645 दिनांक 24.09.1987 से बिकी कर दिया। शेष 38 2/3 डी० जमीन आज भी विपक्षी के शांतिपूर्ण दखल-कब्जा में चला आ रहा है वो आज भी है।

प्रश्नगत जमीन के निस्वत मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना में सिविल मिस० 17/2020 लंबित है। अतः विपक्षी के नाम में प्रश्नगत जमीन के निस्वत कायम जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष एवं आदेश - उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं का अभिवचन सूना एवं उभय पक्षों द्वारा list of documents के माध्यम से दाखिल दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

आवेदक, विपक्षी एवं उनके एक भाई (तिलेश्वर चौधरी) के संयुक्त नाम से निबंधित दस्तावेज सं० 1976 दिनांक 04.05.1976 से मौजा नरवर थाना नं० 138 खाता सं० 161 खेसरा सं० 2766 कुल रकबा 1.16 ए० निबंधित है। यह Registered केवला सम्प्रति unchallenged है अतएव वैध एवं मान्य दस्तावेज है जो अन्यथा किसी न्यायिक आदेश

3/11/24

द्वारा null and void घोषित नहीं होता ।

इस निबंधित भूमि के अन्य संयुक्त हिस्सेदार तिलेश्वर चौधरी से registered sale deed सं0 7645 दिनांक 24.09.1987 द्वारा संयुक्त खरीदगी भूमि से 38 2/3 भूमि का निबंधित कराने से प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि registered sale deed सं0 1976 दिनांक 04.05.1976 बृजबिहारी पंडित वो बॉके बिहारी पंडित बनाम उदयनारायण चौधरी वो जीतनारायण चौधरी वो तिलेश्वर चौधरी में सभी सह हिस्सेदार है।

लोक अदालत सासाराम वाद सं0 219D/2014 में पारित डिक्की के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में c. Mics. No. 17/2020 दायर व लंबित है। इस लंबित अवस्था में लोक अदालत का डिक्की finally adjudicated नहीं कहा जा सकता है।

विपक्षी के नाम से अंचल अधिकारी कोचस के नामान्तरण वाद सं0 2750/2011-12 में पारित आदेश के आलोक में कायम जमाबंदी के विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता न्यायालय में दाखिल नामान्तरण अपील वाद 36/2012-13 खारिज हो चुका है तथा इसके विरुद्ध कोई रिविजन वाद दायर करने/लंबित रहने का कोई साक्ष्य आवेदक द्वारा वाद के विचारण के क्रम में प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार नामान्तरण वाद सं0 2750/11-12 का आदेश सम्प्रति act up on है।


उपरोक्त विवेचनाओं एवं निष्कर्षों के आधार पर आवेदक द्वारा दाखिल जमाबंदी रद्दीकरण वाद में कोई तथ्य एवं मेधा स्थापित नहीं होता है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण वाद खारिज करते हुए निष्पादित किया जाता है।

आदेश से सभी पक्षों को अवगत करा दी जाए।

लेखापित एवं संशोधित।



अपर समाहर्ता,
रोहतास (सासाराम)।


अपर समाहर्ता,
रोहतास (सासाराम)।

जमाबंदी - 299/न्याय, दिनांक - 3/4/21

~~प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी, बिहारी को सूचनाएं एवं आशुभन लेटर प्रेषित।~~

~~प्रतिलिपि - जिला सूचना एवं विज्ञान पटाल (NIO रोहतास) सासाराम को सूचनाएं एवं जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने लेटर प्रेषित।~~


अपर समाहर्ता,
रोहतास (सासाराम)।